अध्याय – 4

वाहनों पर कर

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने अंतर्राज्यीय वाहन यातायात को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबंध, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सम्मिलित है, सम्बंधी एक कंडिका प्रस्तुत की है, जिसमें परिवहन आयुक्त (प.आ.) एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (क्षे.प.अ.) के कार्यालयों में मोटर वाहन कर/शुल्क/शास्ति के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लिए गए प्रेक्षणों से चयनित ₹ 19.71 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरण एवं ₹ 2.23 करोड़ के राजस्व प्रभाव समाहित हैं, जहॉ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों का पालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान हमारे द्वारा बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012–13 में मोटर वाहनों से संग्रहित कर विगत वर्ष की तुलना में 12.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण तीव्रगति से कम्प्यूटरीकरण होना बताया गया।
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)	वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने 2,53,801 प्रकरणों में ₹ 114 करोड़ के राजस्व से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, कर की वसूली न होने/कम वसूली होने एवं कर की गलत दर इंगित किया था। इनमें से विभाग /शासन ने 16,676 प्रकरणों में अर्न्तनिहित ₹ 80.90 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था एवं 5,266 प्रकरणों में ₹ 12.19 करोड़ वसूल किये ।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)	वर्ष 2012–13 में, हमने मोटर वाहन कर से सम्बंधित 36 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की और 8,51,964 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 31.70 करोड़ कर के अवनिर्धारण एवं अन्य प्रेक्षणों का पता चला । विभाग ने 1,777 प्रकरणों में ₹ 7.32 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें हमारे द्वारा 2012–13 के

	दौरान इंगित किया था । वर्ष 2012–13 के दौरान 118 प्रकरणों में राशि ₹ 23.75 लाख की वसूली की गई थी ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए नियंत्रण प्रणाली के उन्नतिकरण सहित आंतरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे हमारे द्वारा बताई गई सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाया जाकर उन्हें भविष्य में रोका जाए। यह भी आवश्यक है कि हमारे द्वारा इंगित किए गए कर एवं शास्ति के अनारोपण आदि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए विशेषकर उन प्रकरणों में जहां हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

अध्याय – 4
वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है । चालक अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता हैं । जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है । मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) हैं । अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं । वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत किया जाता है :

- मोटरयान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 तथा
- मध्य प्रदेश मोटरयान नियम (नियम),1991

4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश बजट मैन्युअल (मैन्युअल), 2012 की कंडिका ए–15 सहपठित कंडिका 6.6.1 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में विगत वर्षों से सम्बंधित शेष बकाया राशि एवं वर्ष के दौरान उनकी वसूली की संभावना सहित वास्तविक मांग सम्मिलित/प्रक्षेपित की जानी चाहिए । मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा सम्बंधित विभाग/शासन से आवश्यक जानकारी/आंकड़े प्राप्त करने के पश्चात राजस्व अनुमानों को तैयार किया जाना अपेक्षित है ।

2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान वाहनों पर कर की वास्तविक प्राप्तियां तथा उसी अवधि से संबंधित कुल कर प्राप्तियां तालिका क्रं. 4.1 में दर्शाए गए हैं :

तालिका क्र. 4.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+)/कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	1,000.00	772.56	(-) 227.44	(-) 22.74	13,613.50	5.68
2009-10	900.00	919.01	(+) 19.01	(+) 2.11	17,272.77	5.32
2010-11	1,130.00	1,198.38	(+) 68.38	(+) 6.05	21,419.33	5.59
2011-12	1,285.00	1,357.12	(+) 72.12	(+) 5.61	26,973.44	5.03
2012-13	1,500.00	1,531.25	(+) 31.25	(+) 2.08	30,581.70	5.01

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखें)

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (–) 22.74 से लेकर (+) 6.05 के मध्य रहा।

वर्ष 2012–13 में, वाहनों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 12.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा तीव्रगति से कम्प्यूटरीकरण होना बताया गया।

4.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान वाहनों पर कर की प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किए गए ऐसे व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष के संग्रहण पर व्यय के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत के साथ तालिका क्र. 4.2 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष में संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
2010-11	1,198.38	32.90	2.75	3.07
2011-12	1,357.12	40.40	2.97	3.71
2012-13	1,531.25	40.07	2.62	2.96

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखें)

हम यह स्वीकार करते हैं कि संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी।

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1992 में परिवहन आयुक्त के सीधे नियंत्रण में की गई थी । आन्तरिक लेखापरीक्षा सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) के पर्यवेक्षण में निष्पादित की जा रही है ।

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं ।

वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 236 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरूद्ध केवल 105 इकाईयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। इकाईयों के निरीक्षण के प्रतिशतता की कमी दर्शाता है कि विभाग द्वारा इकाईयों की लेखापरीक्षा की समुचित योजना नहीं बनाई जाती है एवं आंतरित लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

4.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने 37 कंडिकाओं में ₹ 72.86 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 30 कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 51.66 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा ₹ 12.11 करोड़ वसूल किए। विवरण तालिका क्र. 4.3 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 4.3

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.2013 तक वसूल की गई राशि
2007–08	11	21.18	9	18.28	6	2.89
2008–09	7	20.22	7	19.79	7	3.40
2009–10	8	11.49	8	6.21	8	4.86
2010–11	7	10.49	3	4.56	3	0.79
2011–12	4	9.48	3	2.82	2	0.17
योग	**37**	**72.86**	**30**	**51.66**	**26**	**12.11**

विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम रहा है क्योंकि उच्च राशि की आपत्तियों में वसूली नहीं की गई है ।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।

4.5.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, 2,53,801 प्रकरणों में ₹ 114 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली होना, कर की गलत दर लागू किया जाना आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने 16,676 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 80.90 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा ₹ 12.19 करोड़ वसूल किए (31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार) । विवरण तालिका क्रमांक 4.4 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 4.4

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि पर वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2007-08	19	7,125	49.18	7,125	49.18	1,253	2.89	5.88
2008-09	28	5,962	21.88	4,851	19.09	1,422	3.48	18.23
2009-10	27	5,534	18.44	2,209	5.19	1,949	4.86	93.64
2010-11	26	3,845	11.46	1,849	4.56	534	0.79	17.32
2011-12	17	2,31,335	13.04	642	2.88	108	0.17	5.90
योग		**2,53,801**	**114.00**	**16,676**	**80.90**	**5,266**	**12.19**	

वर्ष 2009–10 को छोड़कर विगत पांच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है। हमने इस मुद्दे को विभाग प्रमुख एवं शासन के वित्त सचिव की जानकारी में लाया है (अगस्त 2013) ।

4.5.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बंधित 51 में से 36 इकाइयों के अभिलेखों, जिनमें ₹ 1089.69 करोड़ का कुल राजस्व अन्तर्निहित था, की नमूना जांच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 31.70 करोड़ के 8,51,964 प्रकरण प्रकट हुए जो तालिका क्र. 4.5 में निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :

तालिका क्र. 4.5

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**"सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सहित अंतर्राज्यीय वाहन यातायात का नियमन करने वाली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबंधों की कार्यप्रणाली"**	1	2.23
2.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,928	12.59
3.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,772	6.05
4.	अन्य	8,48,263	10.83
		8,51,964	**31.70**

वर्ष के दौरान विभाग ने अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं सम्बंधी ₹ 7.32 करोड़ के 1,777 प्रकरणों, जो वर्ष 2012–13 की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए गए थे, को स्वीकार किया एवं 118 प्रकरणों में ₹ 23.75 लाख की वसूली की गई ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए " सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सहित अंतर्राज्यीय वाहन यातायात का नियमन करने वाली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबंधों" की कार्यप्रणाली पर ₹ 2.23 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित एक कंडिका एवं ₹ 19.71 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने विभिन्न परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा की एवं अधिनियमों/नियमों/शासन की अधिसूचनाओं/निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कर, शुल्क आदि की वसूली न होना/कम होना आदि के कई प्रकरण पाए गए जैसा कि इस अध्याय की आगामी कंडिकाओं में वर्णित है। ये प्रकरण उदाहरणार्थ हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। परिवहन प्राधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की चूकें पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई हैं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाएं एवं पूर्व में लिए गए इसी प्रकार के प्रेक्षणों के लिए संदर्भ **परिशिष्ट –1** में दिए गए हैं, परन्तु न केवल ये अनियमितताएं निरन्तर बनी रहती हैं और लेखापरीक्षा किये जाने तक प्रकाश में नहीं आती । शासन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों से बचा जा सके।

4.7 सूचना प्रौद्योगिकी पहलू सहित अंतर्राज्यीय वाहन यातायात का नियमन करने वाली राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली एवं द्विपक्षीय अनुबन्धों की कार्यप्रणाली

4.7.1 प्रस्तावना

एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य माल का अंतर्राज्यीय वाहन यातायात मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के तहत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना एवं द्विपक्षीय अनुबंधों के द्वारा नियमित होता है। देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के दृष्टिकोण से सड़क मार्ग से लंबी दूरी की अंतर्राज्यीय यात्राओं एवं माल के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को पारस्परिक आधार पर दूसरे राज्यों के साथ वाहन यातायात के लिए द्विपक्षीय अनुबंध करने के अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय मार्गों पर मोटर वाहनों पर संचालित कर एवं शुल्क का निर्धारण एवं आरोपण तथा शास्ति का अधिरोपण, मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम) 1991 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा नियमित होता है।

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 8(5) के अनुसार, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप धारा (12) के अधीन अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाला कोई मोटरयान मध्य प्रदेश में चलाए जाने के लिए वैध प्राधिकार पत्र सहित मध्य प्रदेश में प्रवेश के समय, परिवहन जांच चौकी पर कर का भुगतान करेगा । भुगतान नकद में या परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश को ग्वालियर में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा और उसका पृष्ठांकन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र में किया जाएगा तथा इस प्रकार पृष्ठांकित प्राधिकार पत्र सदैव ही माल यान के साथ रखा जाएगा और निरीक्षण के लिए परिवहन विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो सहायक परिवहन उप निरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा । इस प्रकार संयुक्त कर के रूप में विभिन्न जांच चौकियों/उड़नदस्तों एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण के कराधान प्राधिकारियों से प्राप्त ड्राफ्ट शासन के खाते मे ंजमा कराए जाते हैं। राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत राजस्व की वसूली की निगरानी राज्य शासन के परिवहन विभाग के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन सम्बंधित राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा की जाती है । इस योजना/अनुबन्धों के अंतर्गत आने वाले वाहन सामान्यतः स्टेज यान, अनुबंधित यान/पर्यटक टैक्सी एवं माल यान हैं ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई 2010 में पुरास्थापित एक नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली, अनुज्ञापत्र धारकों को निर्धारित समेकित शुल्क के भुगतान पर सम्पूर्ण देश में संचालन के लिए समर्थ बनाती है ।

4.7.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा निष्पादित की थी कि क्या :

- द्विपक्षीय अनुबंधों के आधार पर संचालित वाहनों के सम्बंध में कर/शास्ति के आरोपण/वसूली से सम्बंधित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र मौजूद है एवं वैध दस्तावेजों रहित तथा कर देयताओं वाले वाहनों (प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित) को पकड़ने के लिए प्रवर्तन शाखा को सशक्त बनाया गया है;
- मालयानों के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र को जारी करने/नवीनीकरण करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू करने के लिए केन्द्रीय मोटर यान (संशोधित) नियम, 2010 तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों (मई 2010) के अनुसार विभाग द्वारा लागू की गई नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली का पालन किया गया है; एवं
- अनुज्ञापत्रों को जारी करने के लिए अधिनियम में प्रावधानित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

4.7.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा के निष्पादन के दौरान, लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्न पर आधारित थे :

- मोटरयान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991;
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1991;
- मध्य प्रदेश मोटरयान नियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाएं/अनुदेश; एवं
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मई 2010 में अधिसूचित केन्द्रीय मोटरयान (संशोधित) नियम 2010

4.7.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

विषय के अध्ययन के लिए हमने लेखापरीक्षा आयोजना 2013–14 में यादृच्छिक प्रतिदर्श द्वारा चयनित 20 इकाईयों में से वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिए मई से जुलाई 2013 के मध्य छः[1] इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की । लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा करने के लिए 21 जून 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। विभाग का प्रतिनिधित्व परिवहन आयुक्त एवं अन्य कार्यपालकों द्वारा किया गया। अपर परिवहन आयुक्त के साथ एक निर्गम सम्मेलन 29 अक्टूबर 2013 को आयोजित किया गया एवं उत्तरों को समुचित रूप से कंडिकाओं में समाविष्ट किया गया है।

4.7.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग परिवहन विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में किए गए सहयोग को स्वीकार करता है।

[1] क्षे.प.का.– ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, अ.क्षे.प.का. – धार एवं गुना

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियां

4.7.6 मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंधों पर संचालित अन्य राज्यों के लोक सेवा वाहनों[2] से सम्बंधित कर संग्रहण में परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं इकाई कार्यालयों के मध्य अनुश्रवण एवं समन्वय का अभाव

मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का IV) की धारा 88 (1) में प्रावधान है कि कोई अनुज्ञापत्र राज्यों के मध्य हुए द्विपक्षीय अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 69 (2) में उल्लेख है कि वाहन स्वामी वांछित दस्तावेजों के साथ उस क्षेत्र के राज्य परिवहन प्राधिकारी को अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन करेगा । अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने के पश्चात, राज्य परिवहन प्राधिकारी वाहन स्वामी को एक निश्चित स्थान (क्षे.प.का./अ.क्षे.प.का./जि.प.का.) पर कर का भुगतान करने तथा कर का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए उस स्थान के कराधान प्राधिकारी को प्रकरण के म्बंध में सूचित करेगा ।

परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परिवीक्षण एवं समन्वय के अभाव में द्वि–पक्षीय अनुबंधों पर संचालित किये जा रहे लोकसेवा वाहनों पर कर का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

हमने वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय में राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए (जून 2013) मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंधों पर संचालित अन्य राज्यों के लोकसेवा वाहनों के कर के भुगतान सम्बंधित दस्तावेजों[3] की जांच की। हमने पाया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने कराधान प्राधिकारियों जैसे क्षे.प.अ. (जबलपुर, मुरैना) एवं अ.क्षे.प.अ. (गुना) को द्विपक्षीय अनुबंध के आधार पर संचालित 13 वाहनों के सम्बंध में कर संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया था, परन्तु इन तीन क्षेत्रीय कार्यालयों[4] में प्रति सत्यापन करने पर यह अवलोकित किया गया कि इन 13 वाहन स्वामियों द्वारा न तो इन कार्यालयों में कर का भुगतान किया जा रहा था और न ही इन वाहनों से सम्बंधित कोई अभिलेख ही संधारित किया गया था। यह स्पष्ट रूप से परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य अनुश्रवण एवं समन्वय का अभाव तथा मुद्दे को क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अनुसरण करने में परिवहन आयुक्त कार्यालय की विफलता को इंगित करता है।

[2] लोक सेवा वाहन (वाणिज्यिक वाहन)

[3] प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों की सूची/पंजियां एवं प्रकरण नस्तियां

[4] क्षे.प.का. जबलपुर, मुरैना एवं अ.क्षे.प.का. गुना

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति सहमति व्यक्त की एवं आश्वस्त किया कि एक नवीन सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेण्ट स्पेसीफिकेशन (एस.आर.एस.) को लागू करने से अन्य राज्यों के वाहन स्वामियों के कर भुगतानों का डाटाबेस तैयार करने में सहायता मिलेगी तथा विचाराधीन/विकसित/लागू किये जाने वाला डाटाबेस एवं नवीन एस. आर.एस. को लागू करने से जिला स्तर पर बकाया संग्रहण पर नियंत्रण को सुनिश्चित करेगा।

कर राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए जब तक नया सॉफ्टवेयर लागू होता है तब तक शासन द्विपक्षीय अनुबंधों के अन्तर्गत यातायात के संचालन से सम्बंधित उपलब्ध केन्द्रीय डाटा को समेकित करने तथा सम्बंधित इकाईयों के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए एक प्रणाली निर्धारित किये जाने के सम्बंध में विचार कर सकता है ।

4.7.7 जांच चौकियों द्वारा संग्रहीत बैंक ड्राफ्टों की वसूली

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 7 (1) तथा परिवहन आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों (मार्च 2000) के अनुसार, संयुक्त कर के रूप मे कराधान प्राधिकारियों/जांच चौकियों द्वारा प्राप्त बैंक ड्राफ्टों को शासकीय खाते में जमा करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकारी को भेजा जाता है । राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जांच चौकियों/उड़नदस्ता तथा कराधान प्राधिकारियों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में एक पंजी संधारित किया जाना अपेक्षित है । राज्य परिवहन प्राधिकारी इस बात की जांच करेगा कि इस प्रकार प्राप्त सभी बैंक ड्राफ्टों की नियमित रूप से एवं त्वरित ढंग से वसूली कर उन्हें सम्यक रूप से शासकीय खाते में जमा किया जाता है ।

परिवहन आयुक्त कार्यालय में नमूना जांच के दौरान यह अवलोकित किया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त के अनुदेशों (मार्च 2000) का पालन नहीं किया गया था जिनमें राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त बैंक ड्राफ्टों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में बैंक ड्राफ्ट पंजी संधारित की जानी अपेक्षित थी।

हमने आगे राज्य परिवहन प्राधिकारी शाखा में अवधि 2008–09 से 2009–10 (मई 2010 में नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के लागू होने से पूर्व) से सम्बंधित चालान पंजी में देखने पर पाया कि कराधान प्राधिकारियों/जांच चौकियों द्वारा संग्रहित संयुक्त कर के भुगतान हेतु संग्रहीत बैंक ड्राफ्टों को बैंकों में प्रेषित किया जाना दर्शाया गया था । कोषालय अभिलेखों से प्रेषित बैंक ड्राफ्टों की वसूली के सत्यापन के दौरान हमने पाया कि ₹ 1.38 करोड़ की राशि के बैंक ड्राफ्टों, जिन्हें बैंकों में प्रेषित किया जाना प्रतिवेदित किया गया था, को वास्तविक रूप से शासकीय लेखे में जमा नहीं किया गया था ।

कर के भुगतान के विरूद्ध प्राप्त चैकों तथा बैंकों द्वारा दी गई वास्तविक क्रेडिट के साथ बैंक में जमा राशि का मिलान करने में विभागीय विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई ।

विभाग निर्गम सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमत हुआ और बताया कि संग्रहण हेतु बैंक को प्रस्तुत करने के लिए प्रवेश बिंदुओं पर प्राप्त डिमांड ड्राफ्टों का लेखांकन एवं मिलान सुनिश्चित करने के लिए नवीन सॉफ्टवेयर को विकसित करने में पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी एवं यह भी आश्वस्त किया कि शासकीय लेखे में जमा न किए गए/क्रेडिट न किए गए ड्राफ्टों की समीक्षा करने के लिए कम्प्यूटर द्वारा एम.आई.एस. प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

4.7.8 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के प्राधिकार की स्वीकृति पर समेकित शुल्क की कम वसूली एवं भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेशों का अनुपालन न किया जाना

भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 7 मई 2010 द्वारा एक नई राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू की गई । राज्य में दिनांक 15 सितम्बर 2010 से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) के परामर्श से राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रदान करने की इलेक्ट्रानिक प्रणाली विकसित की गई । नई प्रणाली में अनुज्ञापत्र धारक समेकित फीस (शुल्क) के रूप में ₹ 15000 का भुगतान कर पूरे देश में संचालन कर सकते थे । इस फीस को दिनांक 1 अप्रैल 2012 से बढ़ाकर ₹ 16500 प्रति वर्ष किया गया था । परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की संख्या तथा समेकित फीस पर एक समेकित प्रतिवेदन आगामी माह की 5 वीं तारीख तक मंत्रालय को भेजा जाना था जिससे राज्यों को निधियों का शीघ्र वितरण सुगमता से किया जा सके ।

साफ्टवेयर को अद्यतन करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 391 प्रकरणों में समेकित फीस की कम प्राप्ति हुई ।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीन राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू किये जाने से सम्बंधित अधिसूचना दिनांक 7 मई 2010 के अनुसार, वाहन स्वामियों को ₹ 15,000 के भुगतान पर अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाना था । यह शुल्क दिनांक 1 अप्रैल 2012 से बढ़ाकर ₹ 16,500 कर दिया गया । नई प्रणाली के अंतर्गत अनुज्ञापत्र धारक सम्पूर्ण देश में संचालन कर सकता था ।

(i) हमने पांच कार्यालयों[5] में उपलब्ध राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजियों, प्राधिकार पत्र पंजियों एवं कम्प्यूटर डाटाबेस की जांच की (जून 2013) और पाया कि 1 अपैल से 26 अप्रैल 2012 की अवधि के दौरान 391 वाहनों/प्रकरणों के सम्बंध में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार हेतु समेकित शुल्क ₹ 16,500 की लागू दर के बजाय संशोधन पूर्व दर ₹ 15,000 लागू किये जाने के कारण कम वसूला गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.87 लाख की कम वसूली की गयी।

[5] क्षे.प.का.– ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना तथा अ.क्षे.प.का.–गुना

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमत हुआ एवं कम समेकित शुल्क की वसूली का आश्वासन दिया।

विभाग मासिक प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत करने से सम्बंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा ।

(ii) हमने आगे देखा (जुलाई 2013) कि विभाग द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों एवं समेकित शुल्क के भुगतान का मासिक प्रतिवेदन आगामी माह की 5 तारीख तक सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय को भेजने से सम्बंधित मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया कि मासिक अनुज्ञापत्र एक निजी एजेन्सी द्वारा भेजे गये थे जिसे अनुज्ञापत्र जारी करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था । उत्तर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों (मई 2010) के अनुसार नहीं है, जिनके अन्तर्गत विभाग द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की संख्या एवं समेकित शुल्क के भुगतान आदि की समेकित जानकारी आगामी माह की 5 वीं तारीख तक मंत्रालय को भेजी जानी अपेक्षित थी ।

अनुपालन सम्बंधी कमियां :

4.7.9 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित माल वाहनों पर कर एवं शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम) 1991 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक वाहन पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार, कर का उदग्रहण किया जायेगा । यदि वाहन स्वामी अग्रिम त्रैमासिक कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की भुगतान न की गई राशि पर चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा जो कर की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगी ।

हमने पांच कार्यालयों [6] (जून 2013) में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्रों की पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी जहां ऐसी पंजियां संधारित थीं एवं कम्प्यूटर डाटाबेस का परीक्षण किया । हमने अवलोकित किया कि अप्रैल 2009 एवं मार्च 2013 के मध्य की अवधि से सम्बंधित नमूना जांच किये गये 437 वाहनों में से 145 प्रकरणों पर वाहन कर की राशि ₹ 40.75 लाख का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गयी । इसके अतिरिक्त, ₹ 28.03 लाख की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी आरोपित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 68.78 लाख के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। विभाग द्वारा मांग एवं

बकाया देय राशियों को वसूल करने में विभाग द्वारा अनुसरण न किये जाने के परिणामस्वरूप 145 प्रकरणों में राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

[6] क्षे.प.का.– ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना तथा अ.क्षे.प.का.–गुना

वसूली पंजी संधारित नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप लम्बित बकाया राशियों की वसूली का अनुसरण नहीं हुआ । कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार मांग सूचना पत्र भी जारी नहीं किये गये थे ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि केवल सम्बंधित वित्तीय वर्ष की शेष तिमाहियों के लिए कर की कम वसूली आरोपणीय है, न कि पांच वर्ष की सम्पूर्ण अनुज्ञापत्र अवधि के लिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्राधिकार के नवीनीकरण से पूर्व वसूली सुनिश्चित की जाती है । आगे यह बताया गया कि उन प्रकरणों में, जिनमे अनुज्ञापत्र जारी रहने के बावजूद नवीनीकरण नहीं चाहा गया था, वाहन संचालित न किये जाने के कारण कर भुगतान की चूक नहीं हो सकती है ।

उत्तर म.प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जिसमें राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पर प्रचालित माल वाहनों के सम्बंध में अग्रिम तिमाही कर के भुगतान का स्पष्ट रूप से प्रावधान है । बकाया कर की वसूली करने में अपनी विफलता के समर्थन में विभाग ने तर्क दिया कि वाहन स्वामी संभवतः अपने वाहन संचालित नहीं कर रहे हैं, यद्यपि उनके पास अनुज्ञापत्र हैं, परन्तु उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि वाहन स्वामियों द्वारा वार्षिक प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं कराया गया था, फिर भी अनुज्ञापत्रों के विरूद्ध कर वसूली योग्य था, विभाग को बकाया कर की वसूली हेतु कार्रवाई करनी चाहिए थी।

4.7.10 मध्य प्रदेश में द्विपक्षीय अनुबंध पर प्रचालित अन्य राज्यों के माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

विभाग 178 प्रकरणों में द्विपक्षीय अनुबंधों पर मध्य प्रदेश में संचालित किये जा रहे माल वाहनों पर वाहन कर की वसूली करने में विफल रहा।

अधिनियम 1991 के प्रावधानों के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में द्विपक्षी अनुबंध के अंतर्गत संचालित किये जा रहे अन्य राज्यों के प्रत्येक माल वाहन पर अधिनियम में निर्दिष्ट दर के 85 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जायेगा । यदि देय कर का भुगतान पदांकित प्राधिकारी को नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी कर की भुगतान न की गई राशि पर चार प्रतिशत की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा जो कर की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगा । साथ ही, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, वाहन स्वामी द्वारा अपने कर भुगतान की पुष्टि में एक घोषण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत मांग एवं वसूली पंजी एवं जानकारी के परीक्षण के दौरान हमने पाया कि अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2013 के मध्य की अवधि में चार राज्यों[7] के द्विपक्षीय अनुबंधों के तहत् प्रचालित 178 माल वाहनों पर वाहन कर की

[7] दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

राशि ₹ 70 लाख का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधीकारी द्वारा इसकी वसूली की गयी इसके अतिरिक्त, ₹ 78.26 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी। इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 148.26 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2013) के दौरान विभाग लेखापरीक्षा प्रेक्षण से सहमत हुआ तथा एक मुश्त कर की राशि प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने के सम्बंध में आश्वासन दिया ।

4.7.11 निष्कर्ष

राज्य परिवहन प्राधिकारी तथा इकाई कार्यालयों के मध्य समन्वय का अभाव देखा गया जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षी अनुबंधों पर संचालित किये जा रहे वाहनों से सम्बंधित करों का भुगतान नहीं हुआ । मांग एवं वसूली पंजी संधारित न होने से द्विपक्षीय अनुबंध पर संचालित वाहनों पर लंबित बकाया कर पर निगरानी नहीं रखी जा सकी। विभाग वाहन स्वामियों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों की प्राप्ति को कोषालय अभिलेखों के साथ सत्यापित करने में असफल रहा। शासन ने निधियों के सामायिक वितरण को सुगम बनाने के लिए आगामी माह की 5 वीं तारीख को जारी किये गये राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों एवं समेकित शुल्क के भुगतान पर मासिक समेकित प्रतिवेदन की मंत्रालय को प्रस्तुति से सम्बंधित सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (मई 2010) द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन हीं किया ।

4.8 वाहनों पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम), 1991 की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों (मासिक/त्रैमासिक) के अनुसार किया जायेगा। यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कर की असंदत्त राशि पर धारा 13 के अनुसार चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा/होगी, जो कर की राशि के दुगुने से अनधिक होगी। साथ ही, अधिनियम की धारा 22 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, कराधान प्राधिकारी द्वारा कर की वसूली पर निगरानी रखने के लिये एक मांग एवं वसूली पंजी संधारित किया जाना अपेक्षित है। यह भी अपेक्षित है कि वह निश्चित कालावधि में रजिस्टर की समीक्षा करेगा और चूककर्ताओं को मांग सूचना पत्र जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त द्वारा सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों को परिपत्र क्रमांक 10/12 दिनांक 15.12.1992 द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को अपने कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण अवश्य करना चाहिए।

4.8.1 हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) अभिलेखों[8] की जाँच की ओर पाया कि जून 2005 और मार्च 2012 के मध्य की अवधि से संबंधित नमूना जांच किये गये 24,756 वाहनों में से 2,487 वाहनों पर कर की राशि ₹ 7.52 करोड़ का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। अभिलेख में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनों को सड़क पर नहीं चलाया जा रहा था अथवा उन्हें किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित कर दिया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, चूककर्ता वाहन स्वामियों से कर की वसूली किये जाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.31 करोड़ की शास्ति, यद्यपि आरोपणीय थी,

[8] माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी, वाहन समर्पण पंजी, अनुज्ञा–पत्र समर्पण पंजी के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

आरोपित नहीं की गई। हमने यह भी पाया कि नौ कार्यालयों[9] में मांग एवं वसूली पंजी संधारित/अद्यतन नहीं की गई थी। कराधान प्राधिकारियों द्वारा उज्जैन (2010–11) को छोड़कर सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था, लेकिन उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गई थी जो इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप तालिका क्रमांक 4.6 में दर्शाये गये अनुसार ₹ 12.83 करोड़ के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई :

तालिका क्र. 4.6

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालयों की संख्या	वाहनों की श्रेणी/वाहनों की संख्या	अन्तर्निहित अवधि	भुगतान न किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	योग
1	27[10]	मालवाहन 1, 144	4/06 से 3/12	2.43	1.76	4.19
2	26[11]	आरक्षित वाहनों के रूप में रखे गये लोक सेवा वाहन 520	2/06 से 3/12	2.48	1.43	3.91
3	18[12]	नियमित प्रक्रम वाहन अनुज्ञा–पत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहन 173	6/05 से 3/12	1.31	1.16	2.47
4	25[13]	मैक्सी कैब/टैक्सी कैब 650	4/08 से 3/12	1.30	0.96	2.26
	योग	**2,487**		**7.52**	**5.31**	**12.83**

[9] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – गुना, जि.प.का. – भिण्ड, देवास एवं सीहोर

[10] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन (2), अ.क्षे.प.का. – छिन्दवाड़ा, धार, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मंदसौर एवं सिवनी तथा जि.प.का. – भिण्ड, देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया एवं विदिशा

[11] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – छिन्दबाड़ा, धार, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर एवं सिवनी और जि.प.का.भिण्ड, देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, उमरिया एवं विदिशा

[12] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन (2), अ.क्षे.प.का. – गुना, कटनी, खरगोन एवं मंदसौर और जि.प.का. – भिण्ड, देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, श्योपुर एवं शिवपुरी

[13] क्षे.प.का. – भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, शहडोल एवं उज्जैन (2), अ.क्षे.प.का. – छिन्दबाड़ा, धार, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर एवं सिवनी और जि.प.का. – भिण्ड, देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ एवं विदिशा

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) सात कराधान प्राधिकारियों[14] ने बताया (सितम्बर 2012 एवं मई 2013 के मध्य) कि 75 प्रकरणों मे ₹ 19.27 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी एवं 478 प्रकरणों में चूककर्ताओं को माँग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे।

4.8.2 हमने (दिसम्बर 2011 एवं सितम्बर 2012 के मध्य) सात जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[15] में अभिलेखों[16] की जांच की और पाया कि 988 वाहनों की नमूना जाँच में 93 मोटर वाहनों के लिये वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2012 के मध्य की अवधि के दौरान एक माह से लेकर 30 माह तक के विलम्ब से किया गया था। किन्तु वाहन स्वामियों द्वारा न तो कर के साथ शास्ति का भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि क्षे.प.का.– रीवा द्वारा मांग एवं वसूली पंजी संधारित/अद्यतन नहीं की गई थी। कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गई थी जो इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.42 लाख की शासित की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा (दिसम्बर 2011 एवं सितम्बर 2012 के मध्य) इंगित किये जाने पर कराधान प्राधिकारी, छतरपुर ने बताया (मार्च 2012) कि छः प्रकरणों मे ₹ 15,138 की राशि वसूल की जा चुकी थी और तीन प्रकरणों में मांग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे एवं तीन कराधान प्राधिकारियों[17] ने बताया (दिसम्बर 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य) कि मांग सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं/वसूली कर सूचित किया जायेगा/वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

---

14 क्षे.प.का. – मुरैना, रीवा, अ.क्षे.प.का. – छिन्दबाड़ा, गुना, खरगौन, जि.प.का. – सिहोर एवं विदिशा

15 क्षे.प.का. – रीवा, शहडोल, अ.क्षे.प.का. – छतरपुर, जि.प.का. – नरसिंहपुर, रायसेन, श्योपुर एवं शिवपुरी

16 मांग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी के साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

17 जि.प.का. – नरसिंहपुर, रायसेन एवं श्योपुर

4.9 मोटर वाहनों पर कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जायेगा। लोकसेवा/निजी सेवा वाहन के प्रकरण में कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता तथा अनुमत्य मार्ग की दूरी के आधार पर की जायेगी। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) 22 जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[18] के अभिलेखों[19] की जांच की और पाया कि 3,842 वाहनों की नमूना जाँच में 331 मोटर वाहनों का जुलाई 2007 एवं मार्च 2012 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित वाहन कर, कर की गलत दर लागू किये जाने के कारण वाहन स्वामियों द्वारा कम जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि सात कराधान प्राधिकारियों[20] द्वारा माँग एवं वसूली पंजियाँ संधारित/अद्यतन नहीं की गई थीं। उज्जैन (2010–11) को छोड़कर कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था लेकिन उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गयी थी जो कि इंगित करता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.37 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, असंदत्त कर की राशि पर आरोपणीय ₹ 29.90 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य), तीन कराधान प्राधिकारियों[21] ने बताया (सितम्बर एवं मई 2013 के मध्य) कि 29 प्रकरणों में राशि ₹ 95,106 वसूल की जा चुकी है एवं 15 प्रकरणों में माँग सूचना पत्र जारी किये गये हैं जबकि नौ कराधान प्राधिकारियों[22] ने बताया (मार्च एवं अगस्त 2012 के मध्य) कि वसूली की कार्रवाई के सम्बंध में सूचित किया जायेगा/वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है।

---

18 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – धार, कटनी, खरगोन, मन्दसौर, सिवनी, जि.प.का. – देवास, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया एवं विदिशा

19 माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी, अनुज्ञापत्र समर्पण पंजी, वाहन समर्पण पंजी के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

20 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन, जि.प.का. – देवास, सिहोर, टीकमगढ़

21 अ.क्षे.प.का. – खरगोन, जि.प.का. – सिहोर एवं विदिशा

22 क्षे.प.का. – रीवा, शहडोल, अ.क्षे.प.का. – कटनी, सिवनी, जि.प.का. – पन्ना, रायसेन, शाजापुर, श्योपुर एवं सीधी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

4.10 अर्थमूवर/हार्वेस्टर पर कर एवं शास्ति की वसूली न होना

दिनांक 28 दिसम्बर 2007 की अधिसूचना के अनुसार, मोटर वाहनों जैसे क्रेन, लोडर, अर्थमूवर, हार्वेस्टर इत्यादि के कर की दरों में उनके लदान रहित भार के अनुसार दरों में संशोधन किया गया था अर्थात 7,000 किलोग्राम तक ₹ 3,700 प्रति तिमाही और तत्पश्चात प्रत्येक 1,000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये ₹ 500 प्रति तिमाही। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने (मार्च 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य) 19 जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[23] में अभिलेखों[24] की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित नमूना जाँच किये गये 2,455 वाहनों में से 370 वाहनों (हार्वेस्टर, अर्थमूवर, क्रेन इत्यादि) पर कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया था। कराधान प्राधिकारियों द्वारा सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गयी थी जो कि यह दर्शाता है कि निरीक्षण निष्प्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.69 लाख के कर की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त कर की असंदत्त राशि पर आरोपणीय ₹ 47.48 लाख की शास्ति भी आरोपित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, हमने अवलोकित किया कि मांग एवं वसूली पंजियाँ सात कार्यालयों[25] द्वारा संधारित/अद्यतन नहीं की गयीं थीं।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मई 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य), छः कराधान प्राधिकारियों[26] ने बताया (सितम्बर एवं मई 2013 के मध्य) कि छः प्रकरणों में राशि ₹ 2.63 लाख वसूल की जा चुकी हैं एवं 109 प्रकरणों में चूककर्ताओं को माँग सूचना पत्र जारी किये गये हैं जबकि छः कराधान प्राधिकारियों[27] ने बताया (जून एवं नवम्बर 2012 के मध्य) कि लेखापरीक्षा को वसूली कर सूचित किया जावेगा/राशि की वसूली के प्रयास प्रगति पर हैं।

---

23 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा, शहडोल एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – छिन्दबाड़ा, धार, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर एवं सिवनी, जि.प.का. – भिण्ड, राजगढ़, सिहोर, शिवपुरी, सीधी एवं विदिशा

24 माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी पंजी, के साथ–साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

25 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, रीवा एवं उज्जैन, जि.प.का. – भिण्ड एवं सिहोर

26 क्षे.प.का. – मुरैना एवं रीवा, अ.क्षे.प.का. – छिन्दवाड़ा, खरगोन, जि.प.का. – सिहोर एवं विदिशा

27 क्षे.प.का. – जबलपुर, शहडोल, अ.क्षे.प.का. – कटनी, सिवनी, जि.प.का. – भिण्ड एवं सीधी

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

4.11 व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 34 के अनुसार, किसी व्यवसायी द्वारा व्यापार प्रमाण–पत्र दिये जाने या उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र–16 में उसके साथ उपरोक्त अधिनियम के नियम–81 में उल्लिखित फीस (मोटर साइकिल के लिये ₹ 50 एवं अन्य के लिये ₹ 200 प्रति वाहन) संलग्न कर प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवसायी द्वारा बेचे गये प्रत्येक वाहन पर फीस प्रभारणीय है। इसके अतिरिक्त, परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.01.2012 के अनुसार नियमानुसार व्यापार फीस वसूलनी थी।

हमने (मार्च 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) 17 जिला/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[28] में व्यापार फीस पंजी तथा व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों (जहाँ उपलब्ध थी) एवं कराधान प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 और मार्च 2012 के मध्य विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 5,12,491 वाहन पंजीकृत किये गये थे, फिर भी व्यवसाइयों द्वारा या तो वांछित व्यापार फीस जमा नहीं की गई थी या निर्धारित राशि से कम जमा की गई थी। कराधान प्राधिकारी बेचे गये उन वाहनों की वास्तविक संख्या भी सुनिश्चित नहीं कर सके जिनके विरूद्ध व्यापार प्रमाण–पत्र जारी किये गये और व्यापार फीस की सही राशि वसूल नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.95 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा (मार्च 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कराधान प्राधिकारी, सिवनी ने बताया (जून 2012) कि व्यवसाईयों से व्यापार कर का संग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत तृतीय अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार किया जाता है। उत्तर में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत व्यापार फीस की वसूली न होने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। जबकि 11 कराधान प्राधिकारियों[29] ने बताया (मई 2012 और जनवरी 2013 के मध्य) कि मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त कार्रवाई की

[28] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, मुरैना, शहडोल एवं उज्जैन (2), अ.क्षे.प.का. – छिन्दवाड़ा, गुना, कटनी, खरगोन, मन्दसौर एवं सिवनी, जि.प.का. – रायसेन, राजगढ़, सिहोर, सीधी, टीकमगढ़ एवं विदिशा

[29] क्षे.प.का. – होशंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, अ.क्षे.प.का. – छिन्दवाड़ा, गुना, कटनी, खरगोन, जि.प.का. – राजगढ़, सिहोर, सीधी एवं विदिशा

जायेगी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किये थे कि व्यापार फीस की वसूली केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अनुसार की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

4.12 आधिक्य भार ले जाने वाले मालयानों से शमन शुल्क की कम वसूली

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अनुसार, मालयानों द्वारा आधिक्य भार को ले जाने के लिये शमन शुल्क न्यूनतम ₹ 2,000 और अतिरिक्त राशि ₹ 1,000 प्रथम टन के लिये और उसके बाद ₹ 500 प्रति टन या उसके भाग आधिक्य भार के लिये होगा।

हमने (नवम्बर 2012 और मार्च 2013 के मध्य) सात सीमा चैक पोस्टों[30] में अवधि अप्रैल 2007 और मार्च 2012 के मध्य की अपराध पंजी के साथ म.प्र.को.सं.–6[31] की जाँच की और पाया कि 2014 मालयानों द्वारा एक टन से 51 टन आधिक्य भार अपने रजिस्ट्रीकृत लदान वजन (आर.एल.डब्ल्यू.) से अधिक ले जाया गया था। प्रभारी अधिकारी ने वाहन स्वामियों से वसूली योग्य शुल्क ₹ 69.96 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 29.68 लाख शमन शुल्क आरोपित एवं वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.28 लाख का शमन शुल्क कम प्राप्त हुआ।

हमारे द्वारा (नवम्बर 2012 और मार्च 2013 के मध्य) प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, पाँच प्रभारी अधिकारियों[32] ने बताया (नवम्बर 2012 और मार्च 2013 के मध्य) कि भविष्य में मोटरयान अधिनियम के अनुसार वसूली की जायेगी। जबकि प्रभारी अधिकारी मालथौन ने बताया (मार्च 2013) कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) में अपराध के लिये दण्ड का प्रावधान है जो कि हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है और यह माननीय न्यायालय का अधिकार है। प्रभारी अधिकारी बड़वानी ने बताया (मार्च 2013) कि शमन शुल्क नियमानुसार वसूला गया है। दोनों उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि मोटरयान अधिनियम, 1988 में निर्धारित दरों के अनुसार शमन शुल्क कराधान प्राधिकारियों द्वारा आरोपित किया जाना था।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

---

30 कैमहा, मझगवाँ (सतना), मालथौन (सागर), मुरैना, पहाड़ीबंधा, संजयनगर (छतरपुर) एवं सेंधवा (बड़वानी)

31 मध्य प्रदेश कोषालय संहिता – 6

32 कैमहा (छतरपुर), मझगवाँ (सतना), मुरैना, पहाड़ीबंधा एवं संजयनगर (छतरपुर)

4.13 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रें पर संचालित लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। कर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्धारित दर से देय है। यदि देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है तो अधिनियम में उल्लिखित चार प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने (मार्च और दिसम्बर 2012 के मध्य) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जबलपुर एवं जिला परिवहन कार्यालय, देवास में अभिलेखों[33] की जाँच की और पाया कि नमूना जाँच किये गये 27 वाहनों में से छः प्रचालकों ने अखिल भारतीय अनुज्ञापत्रें पर प्रचालित नौ लोकसेवा वाहनों के सम्बन्ध में जुलाई 2008 और मार्च 2012 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित वाहन कर का भुगतान नहीं किया था। इन वाहनों को अप्रचालित घोषित नहीं किया गया तथा वाहन स्वामियों द्वारा कथित अनुज्ञापत्रें को अभ्यर्पित भी नहीं किया गया। कराधान प्राधिकारियों द्वारा इन कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था किन्तु उनके द्वारा चूक संसूचित नहीं की गयी थी जो कि यह दर्शाता है कि निरीक्षण अप्रभावी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.37 लाख के कर की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 8.47 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मार्च और दिसम्बर 2012 के मध्य), कराधान प्राधिकारी, जबलपुर ने बताया (दिसम्बर 2012) कि राशि ₹ 75,200 (केवल कर शास्ति बकाया) दो प्रकरणों में लेखापरीक्षा के उपरांत पर जमा की गयी थी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।

[33] माँग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन समर्पण पंजी, अनुज्ञापत्र जमा पंजी, के साथ कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस

4.14 स्लीपर/डीलक्स वाहनों में बैठक क्षमता के गलत निर्धारण के कारण कम वसूली होना

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जायेगा। यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट चार प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय होगी।

हमने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जबलपुर में पंजीयन अभिलेखों की जाँच की (दिसम्बर 2012) और पाया कि तीन डीलक्स/स्लीपर वाहनों (क्षे.प.का. जबलपुर, अ.क्षे.प.का. सिवनी एवं जि.प.का.नरसिंहपुर) में चालक को छोड़कर पंजीकृत बैठक क्षमता 35 एवं 36 थी। निरीक्षण दल के अभिलेखों (पंचनामा) के साथ पारस्परिक मिलान करने पर इन्हीं वाहनों की बैठक क्षमता 43 और 50 के मध्य पायी गयी। इन वाहनों की बैठक क्षमता के अनियमित पंजीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 11.52 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 12.73 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कराधान प्राधिकारी, जबलपुर ने बताया (दिसम्बर 2012) कि वसूली कर सूचित किया जायेगा जबकि अन्य कराधान प्राधिकारियों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2014)।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014)।